



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ : Plexh/cir/0220

06.06.2025

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के आयात या पारगमन पर प्रतिबंध के संबंध में - एफटीपी 2023 के पैरा 2.20ए को शामिल करना

संदर्भ: डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 06/2025-26 दिनांक 02.05.2025

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी), नई दिल्ली के कार्यालय ने पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के आयात या पारगमन पर प्रतिबंध के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक नया पैराग्राफ, **2.20ए** जोड़ा गया है, जो अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर प्रतिबंध लगाता है।

"पैरा 2.20ए: पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध

पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।"

संदर्भ हेतु अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

इसके अलावा, सदस्यों से अनुरोध है कि वे **2 मई 2025** के बाद तीसरे देशों के माध्यम से पाकिस्तानी मूल के माल को भारत तथा भारतीय माल को पाकिस्तान भेजने के संबंध में इनपुट, डेटा या कोई भी प्रासंगिक जानकारी परिषद को bharti@plexconcil.org ; anirudha@plexconcil.org पर उपलब्ध कराएं।

अनुलग्नक ढूंढने के लिए [यहां क्लिक](#) करें

सम्मान,

भारती पारवे,

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद